This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 23 जनवरी, 2020 / 3 माघ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 18 जनवरी, 2020

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–20/2019–लेज.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17–1–2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक

संख्यांक 18) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं।
3. नोडल एजेंसी।
4. नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य।
5. घोषणा का फाइल किया जाना और अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र।
6. अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र का प्रभाव।
7. छूट।
8. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
9. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
10. व्यावृत्तियां।
11. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।
12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
13. नियम बनाने की शक्ति।
14. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां।
अनुसूची।

2020 का अधिनियम संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2020 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रचालन के लिए कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट देने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 05 नवम्बर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **परिभाषाएं.**——इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र" से, धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदन" से, राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रचालन के लिए अनुसूची में यथावर्णित किसी राज्य विधि के अधीन अपेक्षित कोई अनुज्ञा, अनापत्ति, मंजूरी, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति आदि अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकरण" से, सरकार का कोई विभाग या अभिकरण, कोई स्थानीय प्राधिकरण, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज संस्था, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण या किसी राज्य विधि द्वारा या उसके अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकरण या अभिकरण अभिप्रेत है जिसको राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियां या उत्तरदायित्व न्यस्त किए गए हैं;

(घ) "निदेशक" से, सरकार के उद्योग विभाग का निदेशक या आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "उद्यम" से, कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम" से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "नोडल एजेंसी" से, धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी अभिप्रेत है;

(झ) "अधिसूचना" से, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "अनुसूची" से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और

(ठ) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

3. **नोडल एजेंसी.**——निदेशक के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्यधीन महा—प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र; उप—निदेशक उद्योग, एकल खिड़की मन्जूरी अभिकरण बद्दी और विभिन्न क्षेत्रों के एकल खिड़की मन्जूरी अभिकरणों के सदस्य—सचिव उनकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नोडल एजेंसी होंगे।

4. **नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य.**——(1) निदेशक के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्यधीन, नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) राज्य में उद्यमों की स्थापना में सहायता करना और उसे सुकर बनाना; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किए गए अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र का अभिलेख अनुरक्षित करना।

(2) सरकार, नोडल एजेंसी को ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य समनुदेशित कर सकेगी जैसे कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए उचित समझे।

5. घोषणा का फाइल किया जाना और अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र.––(1) कोई व्यक्ति, जो कोई उद्यम आरम्भ करने का आशय रखता है, नोडल एजेंसी को उद्यम आरम्भ करने के आशय की घोषणा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दे सकेगा।

स्पष्टीकरण.––कोई उद्यमी, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ से समस्त अनुमोदनों या उनमें से किसी अनुमोदन को अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और प्रारम्भ होने की तारीख को इसे प्राप्त नहीं किया है तो वह भी इस उप–धारा के अधीन कोई उद्यम आरम्भ करने के आशय की घोषणा देने का विकल्प दे सकेगा।

(2) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा की प्राप्ति पर, नोडल एजेंसी उद्यमी को ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, तत्काल अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी करेगी।

6. अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र का प्रभाव.––(1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र, सभी प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि कि लिए या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगाः

परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात् उद्यमी ऐसे अनुमोदन करने के लिए समस्त अपेक्षाओं का पालन करेगाः

परन्तु यह और कि यदि उद्यमी पूर्ववर्ती परन्तुक की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो उद्यमी के विरुद्ध विधि द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन तीन वर्ष की अवधि के दौरान या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ तक, जो भी पूर्वतर हो, कोई सक्षम प्राधिकारी किसी प्रयोजन के लिए या किसी अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

7. छूट.––जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकरण, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त है तो, यथास्थिति, सरकार या ऐसा कोई प्राधिकरण, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ तक, जो भी पूर्वतर हो, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

8. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.––सरकार या नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकरण के किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

9. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.––इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट उसमें किसी बात के असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

10. व्यावृत्तियां.––धारा 6 और 7 के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी उद्यम को, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के लागू होने से या किसी विनिमयकारी अध्युपायों और तद्धीन विनिर्दिष्ट मानकों से छूट दी गई है।

11. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.––राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी प्रविष्टि को जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी या अनुसूची को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची संशोधित की गई समझी जाएगी।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

13. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब यह चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विधान सभा संकल्प करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश, 2019 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

[धारा 2 (ट) और धारा 11 देखे]

क्रम संख्या	**अधिनियम का नाम**
1.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994
2.	हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994
3.	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994
4.	हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984
5.	हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1968
6.	हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969
7.	हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006
8.	हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2019

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Nodal agency.
4. Powers and functions of nodal agency.
5. Filing of declaration and Acknowledgment Certificate.
6. Effect of the Acknowledgement Certificate.
7. Exemption.
8. Protection of action taken in good faith.
9. Act to have an overriding effect.
10. Savings.
11. Power to amend THE SCHEDULE.
12. Power to remove difficulties.
13. Power to make rules.
14. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 2 of 2019 and savings.
THE SCHEDULE.

Act No. 1 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON DATED 17TH JANUARY, 2020)

AN

ACT

to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and operation of the micro, small and medium enterprises in Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short titlt and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force on 5th day of November, 2019.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Acknowledgement Certificate" means the acknowledgement certificate issued under section 5;

(b) "approval" means any permission, no objection, clearance, consent, approval, registration, licence and the like, required under any State law as mentioned in THE SCHEDULE for the establishment or operation of an enterprise in the State;

(c) "Competent Authority" means any department or agency of the Government, a local authority, statutory body, State owned corporation, Panchayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities or any other authority or agency constituted or established by or under any State Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;

(d) "Director" means Director or Commissioner of Industries Department of the Government;

(e) "enterprise" means a micro, small or medium enterprise;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "micro, small or medium enterprise" means the micro, small or medium enterprises, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) ;

(h) "nodal agency" means the nodal agency referred to in Section 3;

(i) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(k) "SCHEDULE" means THE SCHEDULE appended to this Act; and

(l) "State" means the State of Himachal Pradesh.

3. Nodal agency.—Subject to superintendence, direction and control of the Director, the General Manager, District Industries Centre; the Deputy Director of Industries, Single Window Clearance Agency, Baddi; and the Member-Secretary, Single Window Clearance Agencies of different areas, shall be the nodal agency for the areas under their jurisdiction for the purposes of this Act.

4. Powers and functions of nodal agency.—(1) Subject to the superintendence, direction and control of the Director, the powers and functions of the nodal agency shall be as follows :—

(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and

(b) to maintain the record of declaration of intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Act.

(2) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agency as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.

5. Filing of declaration and Acknowledgement Certificate.—(1) Any person who intends to start an enterprise may furnish to the nodal agency a declaration of intent to start an enterprise in such form and in such manner as may be prescribed.

Explanation.—Any enterprise that has moved to the Competent Authority to obtain all or any of the approval(s) before the commencement of this Act and has not received it on the date of commencement, may also opt to furnish declaration of intent to start an enterprise under this sub-section.

(2) On receipt of a declaration complete in all respects, the nodal agency shall, forthwith, issue an Acknowledgement Certificate, in such form as may be prescribed, to the enterprise.

6. Effect of the Acknowledgement Certificate.—(1) An Acknowledgement Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval for a period of three years from the date of its issuance or till the date of commencement of commercial production or operation, whichever is earlier:

Provided that subsequent to the issuance of the Acknowledgement Certificate, the enterprise shall adhere to all the requirements for such approval:

Provided further that in case the enterprise fails to adhere to the requirements of the preceding proviso, action as required by or under the law may be initiated against the enterprise.

(2) During the period of three years or till the commencement of commercial production or operation, whichever is earlier, under sub-section (1), no Competent Authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval.

7. Exemption.—Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprise from any approval or inspection or any provisions in relation thereto under any Central Act, the Government or any such authority, as the case may be, shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issuance of the Acknowledgement Certificate or till the commencement of commercial production or operation, whichever is earlier.

8. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or nodal agency or Competent Authority or any employee of the Government, nodal agency or Competent Authority for anything which, in good faith, is done or intended to be done, under this Act or any rule made thereunder.

9. Act to have an overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law, for the time being in force.

10. Savings.—Subject to the provisions of Sections 6 and 7, nothing contained in this Act shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards specified thereunder, except to the extent expressly provided in this Act.

11. Power to amend THE SCHEDULE.—The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, add to or delete any entry of THE SCHEDULE, or otherwise amend THE SCHEDULE, and thereupon THE SCHEDULE shall be deemed to have been amended.

12. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the said difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.

13. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive session(s) as aforesaid, the Legislative Assembly makes any modification in the rule or resolves that any such rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

14. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 2 of 2019 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

THE SCHEDULE

[*See* section 2(k) and section 11]

Sl. No.	**Name of the Act**
1.	The Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994
2.	The Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994
3.	The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994
4.	The Himachal Pradesh Fire Fighting Services Act, 1984
5.	The Himachal Pradesh Road Side Land Control Act, 1968
6.	The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment Act,1969
7.	The Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006
8.	The Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977.